समक्ष श्रीमान ...राजस्व मंडल ग्वालियर..(म.प्र.)
प्रकरण क.- R-3462-I/14 कैम्प सागर (183)

राहुल बल्द हेमराज राय

साकिन माला बम्हौरी तह. जबेरा जिला दमोह

.......पुनरीक्षणकर्ता

**विरूद्ध**

राकेश कुमार बल्द लखन लाल सोनी

साकिन सराफा बाजार दमोह

...........उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा प्र.क. 31/70/13–14 राजेश कुमार विरूद्ध राहुल राय मे पारित आदेश दिनांक 16/7/2014 से पीड़ित व आहत होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है–

**पुनरीक्षण के तथ्य–**

पुनरीक्षणकर्ता ने भूमि मौजा चौपरा खुर्द रा.नि.मं. दमोह–2 विकासखंड दमोह तह. व जिला दमोह प.ह.नं. 19/30 पुस्तिका क. एम 450651 खसरा नं. 4/22 कुल रकवा 0.043 हे. में से 33 X 40 = 1320 वर्गफुट का रहवासी क्षेत्र का प्लाट बैनामा रजिस्ट्री द्वारा वर्ष 2014 दिनांक 28/1/2014 को कय किया था जिसकी चतुर्थ सीमा में उत्तर में 6 फुट का कच्चा रास्ता, दक्षिण में रीतेश राय, हेमराज राय का आवासीय प्लाट, पूर्व में चौबे जी का आवासीय प्लाट, पश्चिम में राहुल राय का प्लाट है जिसका पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किया था जबकि उत्तरवादी का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेशं पृष्ठ

प्रकरण कमांक—निगरानी 3462—एक / 2014 जिला— दमोह

राहुल विरूद्ध राकेश कुमार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07—03—2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील दमोह जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 06 / अ—70 / 2013—14 में पारित आदेश दिनांक 16—7—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 06—05—2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य 07/3/19 | |